

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक हथिगवां सत्येन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 06 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 01.10.2026 को थाना हथिगवां पुलिस द्वारा सम्बन्धित केस/774/2026, उ0प्र0 राज्य बनाम गीता देवी, मु0अ0सं0 166/2023, धारा 147/148/149/323/504/506/427/308 भादवि, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 06 वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुरुष वारण्टी अभियुक्तों को लखनऊ-प्रयागराज हाईवे स्थित बड़ी अखितयारी मोड़ के पास तथा महिला वारण्टी अभियुक्ताओं को ग्राम कबीरपुर सैरैया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताओं को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त/अभियुक्ताओं का नाम व पता-

1. मखनलाल पुत्र स्व0 कृष्णदेव, उम्र करीब 36 वर्ष।
2. नीरज गौतम पुत्र जियालाल गौतम, उम्र करीब 30 वर्ष।
3. अशर्फीलाल पुत्र स्व0 कृष्णदेव, उम्र करीब 34 वर्ष।
4. गीता देवी पत्नी जियालाल गौतम, उम्र करीब 52 वर्ष।
5. रिकी देवी पत्नी मखनलाल गौतम, उम्र करीब 33 वर्ष।
6. शीला देवी पत्नी अशर्फीलाल गौतम, उम्र करीब 32 वर्ष।

सभी निवासीगण कबीरपुर सैरैया प्रवेशपुर, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, चौकी प्रभारी खिदिरपुर व म0उ0नि0 राखी सिंह मय हमराह का0 विनय सोनकर, का0 सुरेन्द्र यादव, का0 अंकुल शुक्ला, म0का0 अंजली कुशवाहा, म0का0 अन्नू चौहान थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 विकास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/तलाश वांछित वारण्टी अपराधी के दौरान माननीय न्यायालय सीजेएम प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र, फौजदारी वाद सं0 34167/26, धारा 364/302/342/323/504/120बी भादवि से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त कृष्णकान्त तिवारी उर्फ पतरौल पुत्र हरिशंकर तिवारी, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी ग्राम नामदेवपुर डडवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कृष्णकान्त तिवारी उर्फ पतरौल पुत्र हरिशंकर तिवारी, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी ग्राम नामदेवपुर डडवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय हमराह का0 विकास यादव, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त/अभियुक्ताओं को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आलाजुर्म 02 अदद बाँस के डण्डे बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 05 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी सुल्तानपुर पूरे अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 22.09.2026 को रात्रि करीब 09:00 बजे पुरानी रंजिश के कारण हरिचन्द, वीरेन्द्र कुमार सरोज, मीना देवी, प्रिन्स सरोज एवं सितारा देवी द्वारा एकराय होकर वादी को लाठी-डण्डों व लात-घूसों से मारपीट की गई। वादी को बचाने आई उसकी बहन आरती के साथ भी मारपीट एवं गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 244/2026 धारा

115(2)/352/351 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 109(1)/190/191(2)/191(3) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय नेतृत्व में थाना मानिकपुर के उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त/अभियुक्ताओं की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर गद्दी मानिकपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित ग्राउण्ड से अभियुक्तगण 1. हरिचन्द पुत्र सुखराम, 2. वीरेन्द्र कुमार सरोज पुत्र स्व0 असफ़ी लाल, 3. प्रिन्स सरोज पुत्र वीरेन्द्र कुमार सरोज तथा अभियुक्तागण 4. सितारा देवी पत्नी हरिचन्द एवं 5. मीना देवी पुत्री स्व0 असफ़ी लाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटनास्थल में प्रयुक्त 02 अदद बाँस के डण्डे बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताओं का विवरण-

1. हरिचन्द पुत्र सुखराम, उम्र करीब 46 वर्ष।
 2. वीरेन्द्र कुमार सरोज पुत्र स्व0 असफ़ी लाल, उम्र करीब 40 वर्ष।
 3. प्रिन्स सरोज पुत्र वीरेन्द्र कुमार सरोज, उम्र करीब 19 वर्ष।
 4. सितारा देवी पत्नी हरिचन्द, उम्र करीब 34 वर्ष।
 5. मीना देवी पुत्री स्व0 असफ़ी लाल, उम्र करीब 38 वर्ष।
- सभी निवासीगण सुल्तानपुर पूरे अली नकी, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

02 अदद बाँस के डण्डे (आलाजुर्म)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार सिंह व उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 दरवेश कुमार, का0 रामदेव गौतम, का0 राजेश पाल, का0 अमन यादव, म0का0 किरन बिन्द, म0का0 बन्दना चौहान, म0का0 पिकी यादव, म0का0 कीर्ति सिंह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर 01 अभियुक्त शुभम पाण्डेय को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 378/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी मझिलगाँव, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 29.09.2026 को प्रातः उनके घर के सामने खड़ी सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गए। वादी एवं परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 378/2026 धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

विवेचना के क्रम में दिनांक 01.10.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर भदरी से शेखपुर तिराहा के मध्य पुलिया के पास से अभियुक्त शुभम पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय निवासी मनोखर बाग, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को दिनांक 29.09.2026 को मझिलगाँव से चोरी करना तथा पुलिस से बचने के लिए नम्बर प्लेट हटा देना बताया गया। बरामद मोटरसाइकिल की वादी द्वारा शिनाख्त की गई। प्रकरण में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभियुक्त शुभम पाण्डेय का नाम प्रकाश में लाया गया। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शुभम पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार पाण्डेय निवासी मनोखर बाग, थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह, का0 उमाशंकर भारती, रि0का0 विवेक यादव, का0 जितेन्द्र यादव, पीआरडी अरविन्द कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

वनसत्ती माता मंदिर से चोरी हुए 07 अदद पीतल के घंटे बरामद कर थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी हुए 07 अदद पीतल के घंटे बरामद किए गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम कुशफरा मत्तू का पुरवा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उसके द्वारा गांव में सड़क किनारे वनसत्ती माता का मंदिर बनाया गया है। दिनांक 10.08.2026 को करीब 06:00 बजे शाम मंदिर पर पहुंचने पर वहां से कुछ घंटे चोरी होना पाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्वेक्षण व थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 अमित सिन्हा मय हमराह उ0नि0 मुकेश कुमार, का0 शुभम यादव, का0 प्रदीप खरवार व का0 धीरज तिवारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर विश्वनाथगंज स्टेशन से करीब 100 मीटर पहले सड़क पर दो व्यक्तियों को रोककर पूछताछ एवं तलाशी ली गई। दोनों द्वारा एक ही झोला पकड़ा हुआ था, जिसमें 07 अदद पीतल के घंटे बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने उक्त घंटे कुशफरा गांव स्थित वनसत्ती माता मंदिर से चोरी किए जाने की बात बताई। बरामद माल मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पाए जाने पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा बरामद 07 अदद घंटों को कब्जा पुलिस में लेकर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संदीप सरोज पुत्र सुरेश सरोज, उम्र करीब 19 वर्ष।
 2. अरमान पुत्र अब्दुल जप्फार, उम्र करीब 23 वर्ष।
- निवासीगण ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

07 अदद पीतल के घंटे (माल मुकदमा)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित सिन्हा व उ0नि0 मुकेश कुमार मय हमराह का0 शुभम यादव, का0 प्रदीप खरवार, का0 धीरज तिवारी थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को थाना लालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 64(2)(M), 115(2), 351(2) बीएनएस व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 361/2026 धारा 64(2)(M), 115(2), 351(2) बीएनएस व 5J(II)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नरेश वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा उर्फ छोड़न, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पनगरा, थाना नरैनी, जनपद बांदा, उ0प्र0 वांछित चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 राहुल यादव, का0 पवन यादव व का0 राहुल कुमार द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत गडरियन का पुरवा सराय जगत सिंह तिराहे के पास से अभियुक्त नरेश वर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नरेश वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा उर्फ छोड़न, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम पनगरा, थाना नरैनी, जनपद बांदा, उ0प्र0।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 राहुल यादव, का0 पवन यादव, का0 राहुल कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को थाना लालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना लालगंज पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 64(2)(K), 333, 352, 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त राम बरन विश्वकर्मा पुत्र बिन्देश्वरी विश्वकर्मा निवासी ग्राम चकवा मजरे कौशिल्यापुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष वांछित चल रहा था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितीश यादव द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अगई तिराहे के पास से अभियुक्त राम बरन विश्वकर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राम बरन विश्वकर्मा पुत्र बिन्देश्वरी विश्वकर्मा, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम चकवा मजरे कौशिल्यापुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 नितीश यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को थाना महेशगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संतलाल धयकार को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासी तख्त का पुरवा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 22.09.2026 को शाम करीब 07:00 बजे उसके गांव के संतलाल पुत्र कानपुरी, शिवमूरत पुत्र रामदेव, सियालाल पुत्र रामदेव एवं कल्लू पुत्र शिवपूजन द्वारा अपनी बकरियां खोल दी गईं, जो उसके घर के सामने लगी सब्जियों को खा गईं। इसकी शिकायत करने पर उक्त लोगों द्वारा वादिनी एवं उसकी देवरानी के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 236/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 110 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राहुल कुमार गौतम के नेतृत्व में थाना महेशगंज की म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह रि0का0 सिंह अभिषेक अयोध्या, म0का0 माधुरी सिंह तथा उ0नि0 संतोष कुमार पासवान, का0 प्रिंस सेन, रि0का0 रवि यादव व रि0का0 शनि सोनकर द्वारा वांछित अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ऐंथा तिराहे के पास से अभियुक्त संतलाल धयकार पुत्र रामलखन, निवासी तख्त का पुरवा ऐंथा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संतलाल धयकार पुत्र रामलखन, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी तख्त का पुरवा ऐंथा, हीरागंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

म0उ0नि0 वन्दना वर्मा मय हमराह रि0का0 सिंह अभिषेक अयोध्या, म0का0 माधुरी सिंह, उ0नि0 संतोष कुमार पासवान, का0 प्रिंस सेन, रि0का0 रवि यादव व रि0का0 शनि सोनकर थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय ACJM-13 प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त भाष्कर को गिरफ्तार किया गया।

मा0 न्यायालय ACJM-13 प्रतापगढ़ द्वारा वारण्टी अभियुक्त भाष्कर पुत्र ओम प्रकाश, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम खमपुर दूबे पट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मु0न0 1897/15, अ0सं0 30/15, धारा 323, 504, 506, 427, 393, 325, 355, 452 भादवि, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में गिरफ्तारी वारण्ट निर्गत किया गया था।

थाना रानीगंज के उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह रि0का0 विशाल यादव द्वारा वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम खमपुर दूबे पट्टी स्थित उसके घर के पास से अभियुक्त भाष्कर उपरोक्त को दिनांक 01.10.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1. भाष्कर पुत्र ओम प्रकाश, उम्र करीब 31 वर्ष, निवासी ग्राम खमपुर दूबे पट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह रि0का0 विशाल यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता पुलिस द्वारा “गैंगस्टर एक्ट” के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को थाना देल्हूपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मांधाता श्री धनन्जय राय मय हमराह का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 हरिपाल एवं सरकारी वाहन चालक का0 ज्वाला सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं मु0अ0सं0 158/2026 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं

समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना देल्हूपुर गेट के पास से दोनों अभियुक्तगण खुशनैन पुत्र हामिद एवं अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला पुत्र सगीर अहमद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. खुशनैन पुत्र हामिद, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी दरगाह अटाला, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।
2. अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला पुत्र सगीर अहमद, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी ग्राम मऊआइमा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज।

आपराधिक इतिहास-

- 1- अभियुक्त खुशनैन पुत्र हामिद निवासी दरगाह अटाला, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज
 1. मु0अ0सं0 250/2019, धारा 3/5/A/8 गोवध निवारण अधि0, थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज।
 2. मु0अ0सं0 454/2022, धारा 379/429/120B IPC व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)D, 11(1)E, 11(1)K पशु क्रूरता अधिनियम, थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।
 3. मु0अ0सं0 02/2026, धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
 4. मु0अ0सं0 03/2026, धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
- 2- अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला पुत्र सगीर अहमद निवासी ग्राम मऊआइमा, थाना मऊआइमा, जनपद प्रयागराज
 1. मु0अ0सं0 02/2026, धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।
 2. मु0अ0सं0 03/2026, धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष मांधाता श्री धनन्जय राय मय हमराह का0 सर्वेश पाण्डेय, का0 हरिपाल, चालक का0 ज्वाला सिंह, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता पुलिस द्वारा दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, गैर-इरादतन हत्या एवं सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या उतावलेपन से वाहन चलाने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 86/2026 धारा 125(ख)/105/281 बीएनएस व 3/181 मोटर वाहन अधिनियम, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मांधाता श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं मु0अ0सं0 86/2026 धारा 125 (ख)/105/281 बीएनएस व 3/181 मोटर वाहन अधि० थाना- मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अभय कुमार पटेल उर्फ छोटू पुत्र राजेश्वर प्रसाद पटेल निवासी ग्राम- अकोढ़िया, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभय कुमार पटेल उर्फ छोटू पुत्र राजेश्वर प्रसाद पटेल निवासी ग्राम- अकोढ़िया, थाना-मान्धाता, प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह हे0का0 बीरेन्द्र यादव, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0 कक्ष संख्या-21 प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट के अनुपालन में थाना देल्हूपुर के थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 अतुल दूबे, का0 दिलीप यादव, का0 विकास यादव व सरकारी वाहन चालक मु0आ0 सन्तोष कुमार राय द्वारा वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर छितपालगढ़ बाजार से अभियुक्त ठकुरी सरोज उपरोक्त को दिनांक 01.10.2026 को समय करीब 13:55 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1-ठकुरी सरोज पुत्र मुनेश्वर, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम खालिसपुर छितपालगढ़, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 अतुल दूबे, का0 दिलीप यादव, का0 विकास यादव व मय चालक मु0आ0 सन्तोष कुमार राय, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय श्रीमान Addl. District Judge Court No.-2 प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में थाना रानीगंज के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू व का0 सौरभ यादव द्वारा वारण्टी अभियुक्त की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम श्रीपुर स्थित उसके घर के पास से अभियुक्त मुन्ना उर्फ लक्ष्मण पटेल को दिनांक 01.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

1- मुन्ना उर्फ लक्ष्मण पटेल पुत्र जीत लाल बिंद, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम श्रीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू व का0 सौरभ यादव, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के ₹4,150/- बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना मांधाता पुलिस को मिली सफलता: चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के ₹4,150/- बरामद किए गये।

प्रतापगढ़।

दिनांक 05-09-2026 की रात्रि में कम्पोजिट विद्यालय डेमा के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, अज्ञात चोरों ने विद्यालय के ऑफिस का ताला तोड़कर वहाँ रखी चाबी से विज्ञान कक्ष का ताला खोला और कक्ष में रखे इनवर्टर व बैटरी चुराकर ले गए। इस संबंध में थाना मांधाता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2026 धारा 305/331(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं चोरी की धनराशि बरामद होने पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष मांधाता श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में थाना मांधाता के 30नि0 अनूप यादव मय हमराह 30नि0 प्रभात वर्मा, का0 ज्वाला सिंह, का0 सर्वेश पाण्डेय एवं का0 हरिपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 122/2026 धारा 305/331(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. अभिषेक सरोज पुत्र देवता दीन सरोज, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़, 2. सतीश सरोज पुत्र उदय राज सरोज, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़ एवं 3. सतीश कुमार सरोज पुत्र सुरेश कुमार सरोज, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम हैंसी जयचन्द, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़ को गजेहड़ी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के ₹4,150/- नगद बरामद तथा बरामद मोटरसाइकिल टीवीएस, वाहन को वैध कागजात उपलब्ध न होने के कारण धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि करीब एक माह पूर्व ग्राम पीपरपुर डेमा में बाढ़ के दौरान मौका पाकर रात में स्कूल का ताला तोड़कर एक इनवर्टर एवं बैटरी चोरी कर इलाहाबाद में सड़क किनारे ट्रक वाले को बेच दिया था, जिससे प्राप्त ₹12,000/- को आपस में बांट लिया था। बरामद धनराशि उसी बिक्री से प्राप्त धनराशि में से शेष धनराशि होना बताया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अभिषेक सरोज पुत्र देवता दीन सरोज, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

2. सतीश सरोज पुत्र उदय राज सरोज, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

3. सतीश कुमार सरोज पुत्र सुरेश कुमार सरोज, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम हैंसी जयचन्द्र, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सतीश कुमार सरोज पुत्र सुरेश कुमार सरोज, निवासी ग्राम हैंसी जयचन्द्र, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष-

1. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त सतीश सरोज पुत्र उदयरज सरोज, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष-

1. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त अभिषेक सरोज पुत्र देवतादीन सरोज, निवासी ग्राम धरमपुर, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष-

1. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0 14/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी के ₹4,150/- नगद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनूप यादव मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, का0 ज्वाला सिंह, का0 सर्वेश पाण्डेय एवं का0 हरिपाल, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।